

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2024 का दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7375

=====

1. ओम प्रकाश पांडे, स्वर्गीय पुरुषोत्तम पांडे के पुत्र, निवासी- 3/319 आवास विकास कॉलोनी, सेक्टर-3 झुंसी, प्रयागराज थाना-झुंसी, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिन-211019।
2. मुकेश कुमार, हरदेव महतो के पुत्र, निवासी- क्यू.टी.आर. सं.- 365/ए, लोको कॉलोनी, गोइलकेरा, थाना-खगौल, दानापुर, जिला-पटना, पिन- 801105।
3. संजय कुमार, श्री महेंद्र रॉय के पुत्र, मोहल्ला के निवासी-इंद्रपुरी, रोड नंबर-04, डाकघर-केशरी नगर, थाना-पाटलिपुत्र, जिला पटना, पिन-800024।
4. राजेश कुमार, राम सकल प्रसाद सिंह के पुत्र, निवासी- 26-ए, 02, गांधी पार्क कॉलोनी, समस्तीपुर, थाना- टाउन थाना- समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर, 848101।
5. मनोज चंद्र भारती, मित्र नंद सिंह के पुत्र, निवासी- शेरपुर छतवाड़ा , डाकघर-माधोपुर निझामा, थाना-महुआ, जिला-वैशाली, बिहार पिन-844122।
6. शशि कुमार, स्वर्गीय परशुराम ठाकुर के पुत्र, निवासी- गाँव - नादौल, डाकघर-नादौल, थाना- मसौढ़ी, जिला-पटना, बिहार, पिन-804454।
7. कुमार आलोक, उमेश प्रसाद सिंह के पुत्र, निवासी- आरपीएस मोड़, जजेस कॉलोनी, वास्तु रेजिडेंसी के पास, महावीर पथ, थाना-दानापुर, जिला-पटना, बिहार पिन-801503।
8. संतोष कुमार वर्मा, स्व. राजेंद्र मिस्त्री के पुत्र, निवासी: गढ़ीखाना, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस के सामने, दानापुर, थाना - खगौल, जिला - पटना, बिहार, पिन - 801105।
9. अशोक कुमार शर्मा, स्वर्गीय प्रभु ठाकुर के पुत्र, निवासी- गाँव -जीतवरपुर, तोला मसल्लन चौक, रेलवे डी. एस. कॉलोनी के पीछे, ब्लॉक संख्या 506, थाना-टाउन थाना समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर, बिहार, पिन-848134।

10. राज कुमार प्रसाद, स्व. पुलकित प्रसाद के पुत्र, निवासी: क्यू.टी.आर. संख्या टी-122, बर्बट्टा रेलवे कॉलोनी के सामने, रोड नंबर 2, सोनेपुर, थाना - सोनेपुर, जिला - सारण, बिहार, पिन - 844101।
11. भानु प्रताप, स्वर्गीय राम बाबू प्रसाद के पुत्र, निवासी- अनवरपुर पश्चिम, रोहनीश इंडेन गैस के पास, हाजीपुर, थाना-हाजीपुर शहर, जिला-वैशाली, बिहार, पिन-844101।
12. बिदेश्वर कुमार सिंह, गोपाल शरण सिंह के पुत्र, निवासी- फ्लैट नंबर-201, शांतिलोक अपार्टमेंट, ब्लॉक सी, शेखपुरा, बेली रोड, थाना-शेखपुरा, पटना, बिहार, पिन-800014।
13. कुमार मृत्युंजय, स्वर्गीय राम विनय शर्मा के पुत्र, निवासी- क्वार्टर नंबर 533 (ए), मोहल्ला, नियोरा कॉलोनी, रोड नंबर 13, शिव मंदिर के पास, थाना-खगौल, दानापुर, जिला-पटना, बिहार, पिन-801105।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, जिला-वैशाली (बिहार), पिन-844101 के माध्यम से ।
2. महाप्रबंधक (व्यक्तिगत) पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, जिला-वैशाली (बिहार), पिन-844101।
3. प्रधान मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, जिला-वैशाली (बिहार), पिन-844101।
4. डिवीजनल रेलवे मैनेजर, पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-801105।
5. डिवीजनल रेलवे मैनेजर, पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-848101।
6. डिवीजनल रेलवे मैनेजर, पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-841101।
7. अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-801105।
8. अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-808101।

9. अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-808101।
10. वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय), पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-801105।
11. वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय), पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-848101।
12. वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय), पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-841101।
13. वरिष्ठ मंडल व्यक्तिगत अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-801105।
14. वरिष्ठ मंडल व्यक्तिगत अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-848101।
15. वरिष्ठ मंडल व्यक्तिगत अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-841101।
16. वरिष्ठ मंडल वित्तीय प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-801105।
17. वरिष्ठ मंडल वित्तीय प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-848101।
18. वरिष्ठ मंडल वित्तीय प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर, जिला-पटना, (बिहार), पिन-841101।
19. प्रभात रंजन श्री राज किशोर प्रसाद सिंह के पुत्र, निवासी: गाँव-रहसा (पूर्व), थाना-महुआ, जिला-वैशाली, पिन संख्या-844114।
20. राजीव कुमार सिंह, मिश्री लाल सिंह के पुत्र, निवासी:- गाँव और डाक.-बिजुलिया, थाना-शम्हो, जिला-बेगुसराय, पिन संख्या-811106।

21. मो. अब्दुल्ला अंसारी, अलहमद अली अन्साकरी का पुत्र, निवासी: - वार्ड नं.-24, मस्जिद गली, शेख टोली, समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर, पिन संख्या - 848101।
22. सुनील कुमार, रामचंद्र प्रसाद के पुत्र, स्थायी निवासी: - गाँव-बाराह पत्थर, वार्ड नं.-15, जिला-समस्तीपुर, पिन संख्या-852201।
23. अर्जुन कुमार, स्वर्गीय अंबिका राय के पुत्र, निवासी: - डी. के. सीकरपुर, थाना- सीकरपुर, जिला-पश्चिम चंपारण (बेतिया), पिन संख्या 848101।
24. राजेंद्र सिंह राठौर, स्वर्गीय श्री प्रेमचंद राठौर के पुत्र, निवासी: - फ्लैट संख्या-303, बी-ब्लॉक, गंगोत्री पैलेस, कटिरा, आरा, भोजपुर, बिहार, पिन संख्या-802301।
25. दीपक कुमार, रामश्रय ठाकुर का पुत्र, निवासी: - वार्ड संख्या-4, गोबिंदपुर (बचवाड़ा का हिस्सा), बेगुसराय, गोविंदपुर, बिहार, पिन संख्या-851128।
26. अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, स्वर्गीय सूर्य दीप श्रीवास्तव के पुत्र, (पूर्व रेलवे गार्ड) निवासी: - मोहल्ला-धरमपुर, ताजपुर रोड, सी.पी.एस. न्यू बिल्डिंग के पास, जिला-समस्तीपुर, बिहार, पिन संख्या-848101।
27. नंदीश्वर प्रसाद यादव अशरपोही यादव के पुत्र, निवासी: - क्वार्टर नं. 43 सी गांधी पार्क, रेलवे कॉलोनी, समस्तीपुर, बिहार, पिन नं. 848101।
28. राज कुमार, शिव पूजन सिंह के पुत्र, निवासी - एच. एन. एल. 01/47, दक्षिण एस. के. पुरी, थाना-एस. के. पुरी, जिला-पटना, पिन संख्या-800021।

..... प्रत्यर्थी/गण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री प्रेम रंजन राज, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए : श्री विशाल रंजन, सी. जी. सी.

=====

रिट याचिका - यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को

एमएसीपी (MACP - Modified Assured Career Progression) योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायालय का निर्णय - याचिकाकर्ताओं की शिकायतें अभी भी बनी हुई हैं। यदि समान परिस्थितियों वाले अन्य व्यक्तियों को वेतन निर्धारण (pay fitment) और एमएसीपी का लाभ दिया गया है, तो याचिकाकर्ता भी इसके हकदार हैं। केवल किसी मौजूदा पद का पुनर्नामकरण (re-designation) करते हुए कुछ उच्च वेतन देना पदोन्नति (promotion) नहीं माना जा सकता।

एमएसीपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी किसी विशेष पद पर 10 वर्षों तक स्थिर (stagnated) रहता है, तो उसे एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता एक विशेष पद पर स्थिर रहे हैं और उस पद का पुनर्नामकरण पदोन्नति के समान नहीं है। पदोन्नति के तत्वों में किसी विशेष पद से जुड़े उच्च वेतनमान, अधिक उत्तरदायित्व और अन्य कारक शामिल होते हैं। इसलिए, केवल किसी विशेष पद का दो बार पुनर्नामकरण करना पदोन्नति के समान नहीं माना जा सकता। (पैरा 3)

याचिकाकर्ताओं ने वेतन निर्धारण (pay fitment) और एमएसीपी का लाभ प्राप्त करने के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत किया है। (पैरा 4)

रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा 5)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक न्यायादेश

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तारीख : 13-02-2025

याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 19.07.2021 को पारित ओ.ए. संख्या 328/2021 के साथ-साथ एम.ए. संख्या 353/2021 और एम.ए. संख्या 352/2021 के आदेशों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में पी.वे. मिस्त्री के पद पर नियुक्त किया गया था और इसे 01.10.1996 को पी.वे. पर्यवेक्षक के रूप में पुनः नामित किया गया था। इसके अलावा पी.वे. पर्यवेक्षक के पद को 09.10.2003 को जे.ई. (पी.वे.) ग्रेड - II के रूप में पुनः नामित किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में, समान स्थिति वाले व्यक्तियों ने न्यायिक मंच का सहारा लिया है और उन्हें राहत मिली है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निवारण नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को 2021 का ओ. ए. सं. 328 दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 2021 के ओ. ए. सं. 328 का निपटान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए। आदेश के पैराग्राफ संख्या 5 & 6 इस प्रकार हैं:

“5. प्रस्तुतियों पर विचार किया। यहाँ 23 आवेदक हैं लेकिन अनुलग्नक-आर/3 से पता चलता है कि यह केवल सात कर्मचारियों द्वारा दिया गया है। फिर भी, जिन आवेदकों ने पहले अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया है, उन्हें इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ओ. ए. के गुण-दोष में गए बिना, हम सोचते हैं कि संबंधित उत्तरदाता प्राधिकरण को लंबित अभ्यावेदन अनुलग्नक आर-3 के साथ-साथ उन आवेदकों के अभ्यावेदन पर विचार करने के निर्देश के साथ ओ. ए. का निपटान करना उचित होगा, जिन्होंने पहले अभ्यावेदन नहीं किया है, लेकिन इस आदेश द्वारा दिए गए दो सप्ताह के समय के भीतर अभ्यावेदन दायर किया है और उक्त सभी कथित अभ्यावेदन पर तीन महीने के भीतर आदेश पारित करें, जिसे अभ्यावेदन दायर करने के लिए आवेदकों को दी गई दो सप्ताह की अवधि की समाप्ति की तारीख से या आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, से गिना जाएगा।

6. उक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ इस ओ. ए. और 2021 के एम. ए. 352 और 2021 के एम. ए. 353 दोनों का निपटारा कर दिया गया है।”

2. याचिकाकर्ताओं को सी. ए. टी. के समक्ष अदालत की अवमानना का आवेदन दायर करना चाहिए था, जहां तक कि सी. ए. टी. के दिनांकित 19.07.2021 आदेश का पालन नहीं किया गया है, दूसरी ओर, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है। जो भी हो, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के सेवा विवरण को ध्यान में रखते हुए, वे फिटमेंट और एम. ए. सी. पी. का भुगतान करने के हकदार नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पी.वे मिस्त्री के पद को पी.वे सुपरवाइजर और जे.ई. (पी.वे) ग्रेड- II में पुनः नामित करते हुए उच्च वेतनमान या वेतन दिया गया है और यह पदोन्नति के बराबर है, परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता वेतन फिटमेंट और एम. ए. सी. पी. के लाभ के हकदार नहीं हैं जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है।

3. इस संदर्भ में कहा जाता है कि उत्तरदाताओं ने 13.12.2021 पर याचिकाकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करने के लिए आदेश या O. M. जारी किया था, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की शिकायतें अभी भी बनी हुई हैं। यदि समान व्यक्तियों को वेतन फिटमेंट और एम. ए. सी. पी. का लाभ दिया गया है, तो इस आधार पर याचिकाकर्ता भी हकदार हैं। प्रत्यर्थियों का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के पी. वे मिस्त्री के पद को पी. वे पर्यवेक्षक और आगे जे. ई. के पी. वे पर्यवेक्षक (पी. वे) ग्रेड-II के पद में पुनः नामित करते हुए उच्च वेतन दिया गया है। मौजूदा पद को फिर से नामित करते समय केवल कुछ उच्च वेतन का विस्तार करना पदोन्नति के बराबर नहीं है। एम. ए. सी. पी. को बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि यदि एक कर्मचारी/अधिकारी 10 साल के लिए किसी विशेष पद पर स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में वह एम. ए. सी. पी. का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। याचिकाकर्ताओं को एक विशेष पद पर रोक दिया गया था और ऐसे पद का पुनः पदनाम पदोन्नति के बराबर नहीं है। पदोन्नति के तत्व किसी विशेष पद से जुड़े उच्च वेतनमान जैसे हैं, और इसलिए उच्च जिम्मेदारियाँ और अन्य कारक भी हैं। इसलिए, केवल दो अवसरों पर विशेष पद का पुनर्नामकरण पदोन्नति के

बराबर नहीं है। रेलवे विभाग में, "उच्च संवर्ग में पदोन्नति" का अर्थ है एक कर्मचारी को संगठनात्मक पदानुक्रम के भीतर निचले स्तर के पद से उच्च स्तर के पद पर स्थानांतरित किया जाना, जिसमें आमतौर पर बढ़ी हुई जिम्मेदारी, उच्च वेतन श्रेणी और वरिष्ठ भूमिकाओं तक पहुंच शामिल होती है, जिसे अक्सर विशिष्ट पद और रेलवे नियमों के आधार पर योग्यता-आधारित चयन या वरिष्ठता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है; मूलतः, रेलवे सेवा में एक रैंक में बढ़ोतरी। उपर्युक्त तत्त्व पी. वे मिस्त्री से पी. वे सुपरवाइजर और पी. वे सुपरवाइजर से जे.ई. (पी. वे) ग्रेड - II जैसे पदों के पुनः पदनाम के मामले में शामिल नहीं हैं।

4. इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने वेतन फिटमेंट और एम. ए. सी. पी. का लाभ बढ़ाने के लिए एक मामला बनाया है। इस संबंध में, संबंधित प्राधिकारी को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त अवलोकन के आलोक में याचिकाकर्ताओं को वेतन फिटमेंट और एम. ए. सी. पी. का विस्तार करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 19.07.2021 को ओ.ए. संख्या 328/2021 के साथ एम.ए. संख्या 353/2021 और एम.ए. संख्या 352/2021 में पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

5. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

ऋतिक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।